राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4653/2019

रामकल्याण चन्देल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।
4. ग्यारसी लाल, वरिष्ठ सहायक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।
5. हरिओम, कनिष्ठ सहायक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.12.2019

आदेश की दिनांक : 15.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 व 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे व समस्त लाभ मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाया जावे और जिस तिथी से निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को लाभ दिया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति फरवरी, 1987 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड ब्यॉय के पद पर की गई थी और उसे दिनांक 06.02.1987 के द्वारा एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर से जनाना अस्पताल, जयपुर पदस्थापित किया गया। तब से अपीलार्थी निरंतर कार्यरत है। आदेश दिनांक 09.03.1993 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.09.1987 से अपीलार्थी की सेवायें निरंतर मानते हुये वार्ड ब्यॉय के उपलब्ध रिक्त पद पर वेतन श्रृंखला 750–940 में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से नियुक्त दिनांक में भी वरिष्ठ है तथा समान पद पर कार्यरत है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 03.09.1987 से महिला चिकित्सालय में तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 25.08.2012 से महिला चिकित्सालय में कार्यरत था। उक्त चिकित्सालयों में समस्त कार्यरत स्टाफ प्रत्यर्थी संख्या 2 के नियंत्रण में है और उक्त चिकित्सालयों में कार्यरत समस्त स्टाफ की पदोन्नति आदि करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 सक्षम है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.06.2019 को अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दिनांक 07.08.2019 को प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को प्रेषित की, परंतु अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं जोडा गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ सहायक व वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई और अपीलार्थी को वंचित रखा गया, जो सेवा नियमों एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 व 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे व समस्त लाभ मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाया जावे और जिस तिथी से निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को लाभ दिया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि महिला चिकित्सालय द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2008 में जारी किये गये जिसमें वहां पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारी वार्ड ब्यॉय/वार्ड मेड को स्थायी किया था और क्रम संख्या 2 पर हरि ओम का नाम अंकित है, जो महाविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं। ग्यारसी लाल जिनका क्रम

संख्या 22 पर नाम है जिन्हें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार महाविद्यालय की वरिष्ठता में शामिल किया गया था, क्योंकि उनके साथ दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत थे, जिनको स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर नियमित नियुक्ति महिला चिकित्सालय में दी गई, परंतु अपीलार्थी की नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से महिला चिकित्सालय में दी गई थी और कर्मचारियों की वरिष्ठता संलग्न चिकित्सालय व निदेशालय के माध्यम से संधारित की जाती है। हरि ओम महाविद्यालय के कर्मचारी नहीं है और इस प्रकार उससे अपीलार्थी तुलना कर रहा है, जो सही नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति फरवरी, 1987 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड ब्यॉय के पद पर की गई थी और उसे दिनांक 06.02.1987 के द्वारा एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर से जनाना अस्पताल, जयपुर पदस्थापित किया गया। तब से अपीलार्थी निरंतर कार्यरत है। आदेश दिनांक 09.03.1993 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.09.1987 से अपीलार्थी की सेवायें निरंतर मानते हुये वार्ड ब्यॉय के उपलब्ध रिक्त पद पर वेतन श्रृंखला 750–940 में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से नियुक्त दिनांक में भी वरिष्ठ है तथा समान पद पर कार्यरत है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 03.09.1987 से महिला चिकित्सालय में तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 25.08.2012 से महिला चिकित्सालय में कार्यरत था। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 25.02.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश के द्वारा कार्मिकों को स्थायी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 2 पर तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 22 पर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से वरिष्ठ है, फिर भी आदेश दिनांक 24.06.2019 के द्वारा जो वरिष्ठता सूची जारी की गई, उसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम अंकित किया गया है, परंतु अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने वरिष्ठता सूची के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की, परंतु विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक

श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई और अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। इस प्रकार हमारे मत में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम से वरिष्ठ कार्मिक है, परंतु वरिष्ठ होने के बावजूद उसके नाम पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाना विधि एवं सेवा नियमों के विपरीत प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में भी यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम से वरिष्ठ है। अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद उसे पदोन्नति से वंचित रखा जाना नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये रिव्यू डीपीसी की जाकर जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी नियमानुसार उक्त पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि दिये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)